किस्म मुकदमा भरण पोषण अधिनियम नं. 121 सन 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/514

मिसल नम्बर–121 / 2022

1.श्रीमति संतोष पत्नी स्व0 घांसीलाल आयु 55 वर्ष जाति बागड़ी निवासी मकान नं0 111 आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी गुमानपुरा पुलिस थाना किशोरपुरा कोटा

प्रार्थी

बनाम

1.सुरेश आत्मज स्व0 घांसीलाल जी आयु 28 वर्ष

2.श्रीमती निशा पत्नी सुरेश आयु 25 वर्ष जाति बागड़ी निवासीगण मकान नं0 111 आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी गुमानपुरा पुलिस थाना किशोरपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थिति:–

1.श्री पृथ्वीराज सिंह शक्तावत प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया बुजुर्ग महिला जो अधिकतर बीमार रहती है प्रार्थीया के वारिसान में प्रार्थीगण के अतिरिक्त एक विवाहित पुत्र व पुत्री है बडा पुत्र राजेन्द्र की पत्नी से वाद विवाद चल रहा है इसलिए प्रार्थिया उसके बडे पुत्र राजेन्द्र के साथ रहकर जीवन यापन कर रही है जबकि अप्रार्थीगण उसी मकान मे जबरन कब्जा कर प्रार्थिया व उसके बडे पुत्र को परेशन कर रहे है। अप्रार्थीगण का विवाह दिनांक 30–1–2020 को संपन्न हुआ उसके पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ जो वर्तमान मे 15 माह का है अप्रार्थी क्रम 2 झगडालू प्रवृत्ति की हे जो प्रार्थिया व उसके बड़े पुत्र राजेन्द्र को आए दिन परेशान करती है यहां तक कि उसके माता पिता को उसकी मोसियो को बुला लेती है स्वंय उनके साथ बिना बताए चली जाती है ओर घर का वातावरण बिगाड रखा है। अप्रार्थीगण मे आपस मे कहासुनी हो गयी और उसी कहासुनी से अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थी क्रम 1 से लड झगडकर उसके पीहर जो कि कोटडी गुमानपुरा कोटा मे स्थित है चली गयी वहां जाने के बाद प्रार्थिया ने फोन कर पूछा कि अचानक लड झगड कर तुम क्यों चले गए हो तो उसके माता पिता ने प्रार्थिया को बात करने के स्थान पर डराया धमकाया कहा कि इस तरह से अगर अप्रार्थिया क्रम 2 घर पर आयी तो आप लोगो का जीना हराम कर देंगे इसके बाद अप्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थिया क्रम 2 को लिवाने गया तो उसके माता पिता ने भेजने से मना कर दिया अप्रार्थी क्रम 2 कुछ देर बाद ही ऑटो मे बैठकर आ गयी आने के बाद प्रार्थिया से गाली गलौच करने लगी घर के सामानो को तोडने लगी प्रार्थीया के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बड़े पुत्र ने समझाया तो उससे कहा कि तू अगर बोला तो छेडछाड व बलात्कार के केस में अंदर करवा दूगी इसलिए उसका बडा पुत्र डर गया और इज्जत की वजह से घर मे अंदर चला गया लेकिन अप्रार्थिया क्रम 2 ने पूरी रात घर का वातावरण खराब कर दिया। दूसरे दिन सुबह के समय अप्रार्थिया क्रम 2 ने उसके माता पिता व सभी मौसियो को बुला लिया जिन्होने प्रार्थिया से मारपीट की ओर मारपीट कर सब इकटठा होकर संबन्धित थानाधिकारी किशोरपुरा कोटा के पास गए तो वहां अप्रार्थिया क्रम 2 ने प्रार्थिया व उसके दोनो पुत्रो के विरूद्ध यह आरोप लगा दिया कि उसे मारा पीटा है क्योकि अप्रार्थी क्रम 1 से अप्रार्थिया क्रम 2 झगड गयी थी दोनो का खाना अलग बनता है दोनो ही अलग निवास करते है तो झगडे मे अप्रार्थी क्रम 1 ने अप्रार्थिया क्रम 2 के थप्पड मार दिया तो उसने आवेश मे आकर घर में लगी तस्वीर खुद के सिर पर फोड़ ली जिससे उसके चेहरे पर कांच के खरोंच का निशान आ गया उसे आधार बनाकर शान्ति भंग मे संबन्धित थानाधिकारी ने अप्रार्थी क्रम 1 को बंद कर दिया। उसके कुछ दिन बाद फिर वही हरकत कर अप्रार्थी क्रम 2 उसके परिवारजन को बुलाकर थानाधिकारी के पास यह कहते हुए चली गयी कि सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाउंगी तो थानाधिकारी ने उसके बड़े पत्र को शांतिभंग मे बंद कर दिया उसके बाद से लगतार घर का वातावरण अप्रार्थिया क्रम 2 बिगाड रही हे उसके सारे परिवार को बुलाकर घर का सामान फिकवा दिया है जबरन घर का माहौल खराब कर दिया डर की वजह से प्रार्थिया अपने बडे पुत्र राजेन्द्र के साथ घर छोडकर निवास करने लगी तो मोबाइल के माध्यम से लगातार अप्रार्थिया क्रम 2 प्रार्थिया को डरा धमका रही है यहां तक कि आज दिनांक को अंजान लोग को लाकर छेनी हथोडी से मुख्य द्वार पर लग ताले को अप्रार्थिया ने तोड दिया और अपने परिवारजन को बुलाकर गृह प्रवेश कर गयी घर में रखा समान व कीमती जेवरात सबकुछ लेकर भाग गए अप्रार्थिया क्रम 2 ने प्रार्थिया का जीना हराम कर रखा है उसको बुढ़ापे मे लगातार परेशान कर रखा है अपने घर से निकाल रखा हे इसलिए आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाला जावे नही तो अप्रार्थीया क्रम 2 कभी भी अप्रिय घटना कारित कर सकती हे क्योकि अप्रार्थीया क्रम 2 प्रार्थिया के साथ कई बार मारपीट कर चुकी है प्रार्थिया बुर्जुग है बीमार रहती है यदि उसके साथ अप्रिय घटना हो गयी तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जावेगा इसलिए आवश्यक है अप्रार्थीगण को इस मकान से जल्द से जल्द बेदखल करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त कृत्यो से प्रार्थिया का अपने मकान मे निवास करना जोखिम भरा हो गया है प्रार्थिया को भय है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थिया से गंभीर वारदात कर सकते है इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के मकान से निष्कासित करने के अदेश अविलम्ब पारित किए जावे ताकि प्रार्थिया अपने मकान मे शान्तिपूर्वक शेष बचा जीवन व्यतीत कर सके और शांति से निवास कर सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के मकान से बेदखल किया जावे ताकि प्रार्थिया अपने मकान मे शान्तिपूर्वक निवास कर सकेगें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया का बुजुर्ग होना स्वीकार है और अप्रार्थीगण के अलावा एक विवाहित पुत्र व पुत्री है, स्वीकार है बड़ा पुत्र राजेन्द्र का उसकी पत्नी से विवाद चलना स्वीकार है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

शेष तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थीण भी प्रार्थीया माता व सास होने सेवा सुश्रुषा करते है, और उसकी मदद करते है, खाना खुराक करते है। अप्रार्थी प्रार्थीया का पुत्र है, पुत्रवधु है,जिनके द्वारा अपनी माता व सास का पूर्ण सम्मान किया जाता है,उसकी पूर्ण रूपसे देखरेख सार संभाल की जाती है,खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखा जाता है,प्रार्थीया से कभी कोई लडाई झगड़ा नही किया है,प्रार्थीया ही अपने बडे पुत्र के बहकाने मे आकर अप्रार्थीगण से लड़ाई झगडा करती है,ओर घर से निकालने की धमकीया देती है,ओर उसी के बहकावे मे आकर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में गलत असत्य तथ्यो पर पेश किया है,यदि फिर भी प्रार्थीया मकान से बेदखल करना चाहती है तो अप्रार्थीगण मकान को खाली करने को तैयार तत्पर है। ओर अप्रार्थी कम 1 उक्त मकान से कोई हिस्सा प्राप्त करने हेतु मांग नही करेगा। अप्रार्थी अपनी पत्नी को लेकर उक्त मकान खाली कर देगा। ओर प्रार्थीया को न्यायालय के आदेशानुसार मकान को खाली कर संभला देगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे और यदि प्रार्थीया चाहती है तो अप्रार्थीगण उक्त मकान को खाली करने को तत्पर है।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से बहस हेतु उपस्थित नही हुये। अतः उभयपक्ष के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माना गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान मकान नं0 111 आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी गुमानपुरा पुलिस थाना किशोरपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं उनको मकान से बेदखल करने की कोशिश नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा